दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, बुधवार 03 अप्रैल 2019
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

मां समेत दो बच्चों ने खाई नींद की दवा, हालत गंभीर

रायगढ़। कोतरारोड इलाके में एक परिवार के तीन लोगों द्वारा नीद की दवाई अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से महिला सहित दो

बच्चे की हालत बिगड़ गई, जिन्हें डायल 112 के जबांज जवानों ने संकरी गली से मशक्कत करते हुए कंधे पर लादकर पुलिस वाहन में बैठाया, वही सभी को इलाज के लिए मेकाहारा में भर्ती किया गया है। वार्ड क्रमांक 5 नवापारा सुबह लगभग 11.30 बजे महिला अनिता वस्त्रकार समेत उसके दो बच्चों ने नींद की हाइडोज दवाई खा ली, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उक्त घटना के बाद घर आए महिला के पति ने दरवाजे को काफी देर तक खटखटाया गया परंतु अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही आने पर महिला का पति डायल 112 को सूचित कर मामले से अवगत कराया।

जब डायल-112 के जवानों ने घर का कुंडी तोड़कर अंदर गए तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। कमरे से पुलिस को एक दवाई का पत्ता मिला है, जो पूरी तरह से खाली है और तीनों अलग अलग स्थान में अचेत अवस्था मे पड़े मिले।

डायल- 112 की टीम ने कमरे से बाहर निकालते हुए कंधे पर लाद कर राइनो वाहन बिठाया और बिना समय गवांए मेकाहारा अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया, जहां तीनों का सघन इलाज जारी है।

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब दुकान रहेगी बंद

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने आबकारी अधिनियम की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2019 के समय मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 21 अप्रैल 2019 को सायंकाल 5 बजे से 23 अप्रैल 2019 को संपूर्ण दिवस तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2) तथा विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1, एफ.एल.-3 होटल बार) दुकानें एवं भण्डारण भाण्डागार पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने जिले के संबंधित अधिकारी को शुष्क अवधि में समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागारों को सील कर बंद करना एवं क्रय-विक्रय, मादक पदार्थों के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण, कब्जा के संबंध में प्रकरण कायम कर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है।

10 सालों से अनोखा रिकार्ड: निगम के सबसे पहले करदाता

रायगढ़। ये हैं हंडी चौक के रहने वाले चक्रधर बाजपेयी, शहर में बीते 10 सालों से इनके नाम पर एक अनोखा रिकार्ड है। 80 साल के चक्रधर बाजपेयी हर बार नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में नगर निगम की बोहनी कराने वाले सबसे पहले करदाता बनते हैं। हर साल 1 अप्रैल को सुबह साढ़े 10 बजे आकर एडवांस में साल भर का टैक्स जमा करने का उनका रिकार्ड रहा है। सोमवार को सुबह लाठी का सहारा लेकर अपने मकान का टैक्स अदा करने निगम पहुंचे श्री बाजपेयी का निगम के राजस्व विभाग ने फूल माला व नारियल से सम्मान किया।

सरपंच व उसके साथियों द्वारा युवक को जान से मारकर फांसी पर लटकाने का आरोप

खाप पंचायत की तरह चला रहा है पंचायत को सरपंच

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस विभाग मौन, पुलिस पर सरपंच के अनुसार कार्य करने का आरोप

ग्राम पंचायत ने युवक को लिंग पर तीन ईंट बांध, युवती को गोद में उठाकर गांव धुमने की दी थी सजा

साथ में 65000 का भी किया था जुर्माना

न्यायसाक्षी/लैलूंगा। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम किलकिला का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमी-प्रेमिका को एक साथ रहने पर घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी और ग्राम पंचायत सरपंच व उसके साथियों ने सुना डाली थी विचित्र सजा। सजा यह थी कि- 65000/- रूपये जुर्माना स्वरूप 10 दिनों के अंदर जमा करना व युवक के लिंग में तीन ईटा बांधकर प्रेमिका युवति को गोद में उठाकर बैंड बाजे के साथ गॉंव में घुमाया जावेगा, यदि वह थक जाता है, तो एक ईटा और बांध दिया जायेगा। जिस पर युवक के परिवार वालों ने मना कर दिया था। तब,

पीड़ित परिवार

सरपंच ने उसके साथियों के साथ मिलकर युवक को फांसी लगाकर लटका दिया और हत्या करने का आरोप लगाया है।

मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम किलकिला निवासी राजकुमार पिता बिकेश्वर पैंकरा ने बताया है कि उसके पुत्र प्रकाश पैंकरा के साथ रहने के लिए उसी की गांव की एक युवती मायावती परिवर्तित नाम घर में घुस गई और प्रकाश के साथ पत्नी के रूप में रहने की जिद करने लगी। प्रकाश के परिवार व युवती के परिवार के बहुत समझाने के बाद भी युवती को प्रकाश से अलग होना मंजूर नहीं था, जिस पर युवती के परिवार वालों ने युवती को वहीं प्रकाश के पास रहने को बोलकर चले गये। प्रकाश के माता-पिता व परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नही थी। प्रकाश व युवती दोनो एक साथ पति-पत्नी की तरह रहने लगे थे। पर यह रजामंदी संरपंच व गांव वालों के दबंगो को रास नही आई और उन्होने प्रकाश व परिवार वालों को प्रताड़ित कर गाली गलौज करने लगे।

भूपदेव सरपंच की अध्यक्षता में गांव में उक्त संबंध में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें युवक प्रकाश सहित उसके पिता को बंधक बनाकर उपस्थित किया गया। युवक की दोनों हाथों को पीछे से बांध दिया गया था और मार-पीट करने हुए प्रताड़ित किया गया। मीटिंग में मुख्य रूप से भूपदेव संरपंच, सुरेश यादव, सजन पैंकरा, हलधर, कोलाराम, करमानंद, यदुमणी, पहलवान, धनीराम पैंकरा, उसत पैंकरा, जगदीश पैकरा एवं गांव के अन्य व्यक्ति थें। सभी उक्त ग्रामवासी सरपंच की हां में हां मिला रहे थे।

मीटिंग में उपस्थित लोगों द्वारा प्रकाश के परिवार को 65 हजार रूपये जुर्माना 10 दिन के भीतर जमा करने की सजा दिया गया। इतना ही नहीं युवक के लिंग में तीन तीन ईंट बांधकर, प्रेमिका युवती को गोद में उठाकर बैंड वाले के साथ गॉव में घुमाना होगा, यदि वह थक जाता है, तो एक ईटा और बांध दिया जायेगा ऐसे विचित्र आदेश शायद ही किसी का आपने कभी सुना होगा। उसके बाद प्रकाश को (जिसका हाथ पीछे रस्सी से बंधा हुआ था) को कोलाराम के द्वारा स्वेटर पहनाने के बहाने मिटिंग से उठाकर उसके घर लेकर जाया गया, उसके ईशारे पर भूपदेव सरपंच, करमानंद, पहलवान, यदुमणि, धनीराम पैंकरा, चमरा, भी एक-एक कर के मीटिंग से उठे और उसके पीछे गए।

बस इसके कुछ देर बाद भगवती, जो कि राजकुमार की बहु है के घर से चिल्लाने की जोर-जोर से आवाज आई, युवक के माता पिता जो मीटिंग स्थान पर बंधे बैठे थे, किसी तरह हाथ छुड़ाकर घर की ओर भागे और घर के अंदर पहुंचने के बाद कमरे में जाकर देखे तो पुत्र प्रकाश फांसी में लटका हुआ था।

उक्त घटना पर पुलिस का कहना था कि प्रकाश ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया। पर सोचने वाली बात यह है कि जिसके हाथ पीछे बंधे हो, वो फांसी कैसे लगा सकता है। और जिस रस्सी से फांसी लगाई गई थी उस प्रकार की रस्सी युवक के घर में थी ही नहीं। जिस पर पिता द्वारा प्रकाश की हत्या की सूचना थाना लैलूंगा में दिनांक 12/3/2019 को दी गई। लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही या जांच नही की गई है। जिससे मामले में सॉंठ-गॉंठ होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

इधर आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को आगे कार्यवाही न करने की धमकी दी जा रही है और जान समेत मारने की धमकी दी जा रही है, और यह दबाव बनाया जा रहा है कि राजी-नामा कर लो, नहीं तो जो हाल तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ है, वही हाल तुम्हारे परिवार के साथ भी करेंगे। इस प्रकार डरा धमका कर पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर पीड़ित परिवार दहशत और डर के कारण गॉव छोड़कर कहीं और रहने को विवश हो गया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार ने उक्त सम्बंध में आवेदन मय शपथ-पत्र राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के साथ पुलिस के उच्चाधिकारियों को भेजा है, साथ ही उसकी कॉपी रायगढ एस0पी0 व लैलूँगा थाना प्रभारी को भी भेजी है, साथ ही कार्यवाही नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने सम्बंधी बात भी कही है। इस प्रकार की घटना समाज के लिए बेहद खतरनाक है, और इस सम्बंध में पुलिस की कार्यवाही अपने-आप में बेहद लचर प्रतीत होती है।

कोरियर कम्पनी के कर्मचारी का रास्ता रोककर मोबाइल व नगदी की लूट

नगदी लूटने के बाद मारपीट करते हुए मोटरसाइकिल ले भागे

लूटपाट में संलिप्त लोगो से पुलिस कोसो दूर और हो रही है हर दूसरे दिन वारदात

रायगढ़। जिले में लूटपाट की वारदात लगातार सामने आ रही है। जिसमें एक बार फिर से जिले की दूसरी सबसे व्यस्तम रायगढ़ घरघोड़ा मार्ग में लूटपाट की घटना घटित हुई है। इस वारदात का शिकार इस बार पुनः दो युवकों ने रास्ता रोककर कोरियर कम्पनी के कर्मचारी से नगदी एवं मोबाइल लूट लिए है। लूटपाट की घटना के बाद पीड़ित कर्मचारी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है

मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम छुहीपाली थाना सारंगढ़ निवासी शुभम कर्ष पिता गजपति कर्ष उम्र 20 वर्ष प्राइवेट कंपनी कोरियर का काम करता है। रविवार को शुभम कर्ष घरघोड़ा तरफ का कोरियर का समान लेकर अपनी मोटर सायकल ग्लेमर क्रमांक सीजी 13 एए 6047 से भालूमार (घरघोड़ा) में कोरियर का समान पहुंचाने जा रहा था इस बीच दोपहर करीब 12 बजे भालूमार रोड में एक मोटर सायकल से 02 लडके शुभम को रूकवाये और मारपीट करने लगे फिर शुभम के सैमसंग ग्लैक्सी मोबाईल एवं पाकिट से 1500 रुपये मोटर सायकल को लुटकर भाग गये। घटना के रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 394,34 आइपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,
रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480